भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3366

दिनांक 16.03.2021/25 फाल्गुन, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

भाषाएं शामिल करने हेतु मानदंड

3366. श्री किशन कपूरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत बोलियों/भाषा को शामिल करने के लिए मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) किस राज्य की भाषा को पिछली बार उक्त अनुसूची में शामिल किया गया था और उस भाषा का नाम क्या है और उसे किस वर्ष शामिल किया गया था?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): चूंकि, बोलियों और भाषाओं का विकास एक ऐसी गतिशील प्रक्रिया है, जो सामाजिक - सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास से प्रभावित होती है, इसलिए भाषाओं के लिए ऐसा कोई मानदंड निर्धारित करना मुश्किल है, जिससे उन्हें बोलियों से अलग किया जा सके अथवा उन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जा सके। पाहवा (1996) और सीताकांत मोहापात्रा (2003) समितियों के माध्यम से ऐसे निर्धारित मानदंड विकसित करने के पूर्ववर्ती प्रयास अनिर्णायक रहे। इसलिए, किसी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किए जाने हेतु कोई मानदंड निर्धारित नहीं है। भारत सरकार आठवीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को शामिल करने से संबंधित उनकी भावनाओं और अपेक्षाओं को लेकर सचेत है। ऐसे अनुरोधों पर इस प्रकार की भावनाओं तथा अन्य प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करना होता है।

(ख): वर्तमान में, संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाओं का उल्लेख है:- (1) असमिया, (2) बांग्ला, (3) गुजराती, (4) हिंदी, (5) कन्नड़, (6) कश्मीरी, (7) कोंकणी, (8) मलयालम, (9) मणिपुरी, (10) मराठी, (11) नेपाली, (12) उड़िया, (13) पंजाबी, (14) संस्कृत, (15) सिंधी, (16) तमिल, (17) तेलुगू, (18) उर्दू, (19) बोडो, (20) संथाली, (21) मैथिली और (22) डोगरी।

इन भाषाओं में से, शुरू में 14 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया था। सिंधी भाषा को वर्ष 1967 में जोड़ा गया था। तत्पश्चात, वर्ष 1992 में तीन भाषाओं अर्थात्, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। तदनंतर, वर्ष 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। इनमें से कई भाषाएं अनेक राज्यों में बोली जाती हैं और इनका प्रयोग राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं है।

****